



REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X

IMPACT FACTOR : 5.7631 (UIF)

VOLUME - 12 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2023



भारत में माल और सेवा कर तथा सीमा शुल्क का आर्थिक अध्ययन

डॉ०चन्द्रकला अरमोती

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

पंक्ति एस.एन शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल (म०प्र०) भारत.

प्रस्तावना :-

1 जुलाई, 2017 से GST को प्रभावी किए जाने से 'एक राष्ट्र-एक कर-एक बाजार' के लक्ष्य की प्राप्ति की और बड़े साहसिक चरण का साक्ष्य है। केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अनेक अप्रत्यक्ष करों को इसमें समाहित किया गया है। दीर्घकाल में GST के प्रचलन से GST में वृद्धि के साथ-साथ करवंचना में प्रभावी कमी प्रत्याशित है। बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा GST के अधीन पंजीयन से GST के प्रभावी क्रियान्वयन में सुविधा होगी, जिससे उनको करों में समरूपता, निर्बाध क्रेडिट के लाभों की उपलब्धता से पर्याप्त सीमा तक करों के सोपानी प्रभाव में कमी प्रकट होगी। प्रचलित अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था से GST की नवीन व्यवस्था की ओर सहज अग्रसर होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एवं सभी सम्बन्धित एजेन्सियां जैसे GST Council GSTN आदि विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही समस्याओं के निवारण के लिए नियमित रूप से निर्णयन कर रही है और जन-जागरण के लिए FAQ*s का प्रिन्ट मीडिया में प्रचार कर रही हैं।



माल एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क Goods and Services Tax-Customs Duty Book इस प्रकार से संरचित है कि प्रारम्भ में ही भारत में GST के प्रचलन को संक्षिप्त रूप में सारांशित करके प्रकट किया गया है।

जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे माल और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी में कराधान के उद्देश्य के लिए वस्तु और सेवाओं के बीच कोई फर्क नहीं होगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैप ड्यूटी, टेलीकाम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।

जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे माल और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी में कराधान के उद्देश्य के लिए वस्तु और सेवाओं के बीच कोई फर्क नहीं होगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैप ड्यूटी, टेलीकाम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014, संसद में प्रस्तुत किया गया। संविधान में प्रस्तावित संशोधन में संसद और राज्य विधानसभा, दोनों को एक ही प्रकार के लेन-देन पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करेगा।

वस्तु एवं सेवा कर :-

वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अंग्रेजी **GST (Goods and Services Tax)** भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था।

वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18%, मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है।

कर की प्रकृति :-

जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।

चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंटी टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैप ड्यूटी, टेलिकाम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगाने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगाने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

जीएसटी के तहत निम्न कर का भुगतान करना होता है :-

भारत संघीय देश होने के कारण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास कर लगाने की शक्तियां हैं। जीएसटी शासन के तहत, केंद्र और राज्य दोनों के पास GST लगाने की शक्ति है। इसलिए, भारत में GST के तहत दो मुख्य करों का भुगतान करना पड़ता है :-

1. केंद्रीय सीजीएसटी (CGST)
2. राज्य स्तरीय एसजीएसटी (SGST)

भारत में जी. एस. टी. का सरल ढांचा :-

जीएसटी के इन दोनों मुख्य भागों विभाजित है जिनमें एक है सीजीएसटी-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और दूसरा एसजीएसटी-राज्य वस्तु एवं सेवा कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सहज भाषा में जी. एस.टी. को दो मुख्य स्तर पर लागू किया गया है - एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। विस्तृत रूप से GST को चार भागों में विभाजित किया गया है : -

आई.जी.एस.टी.-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर :-

आई.जी.एस.टी. (IGST) केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे अंतर-राज्यीय कर या राज्यों के बीच का कर भी कहते हैं। ये कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।

सी.जी.एस.टी.-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर :-

सी.जी.एस.टी. (CGST) का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसको राज्यान्तरिक (Intrastate) कर भी कहते हैं। ये कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।

एस.जी.एस.टी.-राज्य वस्तु एवं सेवा कर :-

एस जी एस टी (SGST) पूरा नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)। ये कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इस कर को राज्यान्तरिक (Intrastate) कर भी कहते हैं और ये कर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।

यू.टी.जी.एस.टी.-केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर :-

यूटी जी एस टी का पूरा नाम है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर) हैं। ये कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। इस कर को राज्यान्तरिक कर भी कहते हैं। ये कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। हालांकि, ऐसी संभावनाएं हैं, कि लोग दो अलग-अलग राज्यों के दो व्यक्तियों के बीच लेनदेन के मामले में भ्रमित ना हों और दो राज्यों के बीच करों का बकाया निर्धारित करने में कठिनाई ना हो, इसलिए केंद्र द्वारा IGST लगाया जाएगा। सरल भाषा में अब, केंद्र राज्य के जीएसटी के हिस्से को राज्यसंगत IGST से जोड़ देगा।

सी.जी.एस.टी.,एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी.में मुख्य अंतर हैं

सी जी एस टी - सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सभी करो का समन्वय है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। वहीं, एस जी एस टी- स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उन सभी करो की जगह ले ली हैं जो राज्य सरकार द्वारा लगाए तथा एकत्र किये जाते हैं। आई जी एस टी - इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सी जी एस टी और एस जी एस टी का टोटल हैं। सी जी एस टी और एस जी एस टी राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति (Supply) पर लगाया जाते हैं जबकि आई जी एस टी तभी लगता है जब राज्य के बाहर आपूर्ति (Supply) की जाती है।

GST बिल मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है :-

भारत में पूरे कराधान प्रणाली में सुधार के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को सक्रिय किया गया था। जीएसटी बिल का उद्देश्य उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं, दोनों पक्षों के लिए करदाताओं के लिए एक सरलीकृत प्रणाली की पेशकश करना है। भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के अनुसार, ये सरलीकृत प्रणाली भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी। इसके अलावा, जीएसटी विभिन्न राज्यों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू विभिन्न करों में एकरूपता की कमी को संबोधित करता है। वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों को तय करने के आधार पर कि वे किस श्रेणी में आते हैं, जीएसटी ने कराधान को अधिक सुसंगत और सरल बना दिया है।

जीएसटी 4-स्तरीय कर स्लैब का अनुसरण करता है क्योंकि सरकार ने इसे आवश्यक वस्तुओं और विलासितायें दोनों पर एक समान कर दरों को लागू करने के लिए अनुचित पाया। इस प्रकार, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी कर स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28%, है। बड़े पैमाने पर खपत के लिए नियमित वस्तुएं जैसे कि खाद्य अनाज, अंडे, गुड़, नमक, रोटी, आदि, किसी भी कराधान को आकर्षित नहीं करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे साबुन, चाय, चीनी, मसाले और दूधपेस्ट पर 12%, 18%, कर लगता है, जो पहले की दर से 20%, से कम है।

जीएसटी की विशेषताएं GST के तहत, माल उत्पादन के चरण और कर का भुगतान :-

GST को समझने के लिए इसके अलग अलग पड़ाव को समझना भी ज़रूरी है :-

- कच्चे माल की खरीदी
- वस्तु / माल उत्पादन
- वेयरहाउस /होलसेलर को बिक्री
- रिटेलर को बिक्री

- अंतिम उपयोगकर्ता को बिक्री

इन पांच स्तरों में जीएसटी लगाया जाता है। इन पांच स्तरों को ऐसे समझे दृ मान लें कि आप खुद निर्माता है और आपको कपड़ों का उत्पादन करना है। इसके लिए आपको धागा खरीदना होगा। ये खरीदारी इन पांच स्तरों में पहला चरण है। ये धागा निर्माण के बाद एक फैब्रिक में तब्दील होगी। तो इसका मतलब है, जब ये एक कपड़ा बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। ये अभी बस दूसरा चरण है। इसके बाद, जब आप इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचते हैं जो हर एक कपड़े में लेबल और टैग जोड़ता है। इस तीसरे चरण में मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है। इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो हर कपड़े को अलग से पैकेज करता है और उसस्के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से अब इस चौथे पड़ाव में इस कपड़े का मूल्य में और बढ़ती होती है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा।

GST को गंतव्य-आधारित कहा गया है क्योंकि के इस पूरे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। पहले, उत्पादन और बिक्री के दौरान केंद्र सरकार विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था। अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता था तो राज्य वैट जोड़ता था। बिक्री के हर एक स्तर पर एक वैट होता था। हालांकि, आज के वक़्त में, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाता है। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया एक राज्य में हो रही है और दूसरी राज्य में अंतिम बिक्री हो रही है। क्योंकि के जी एस टी ख़पत के समय लगाया जाता है, इसलिए उत्पादन के राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा लेकिन जब उत्पाद उस राज्य से बिक्री के लिए बहार जायेगा और दूसरे राज्य में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा उत्पादक राज्य को राजस्व नहीं मिलेगा। अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा दूसरी राज्य के सरकार, क्योंकि ये गंतव्य-आधारित कर है तो **GST** बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाता है।

GST का महत्व, लाभ और हानि :-

GST से भारत को कुछ फायदे हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। **GST** का उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों की संख्या को कम करना और भारतीय बाजार को एकजुट करना है। अगर इसे पिछले वित्तीय वर्ष (फाइनेंसियल ईयर) में मध्य मार्ग के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसमें समर्थकों और आलोचकों की अपनी उचित हिस्सेदारी है।

जीएसटी से भारत को महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं :-

GST भारतीय कराधान में सुधार करता है और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारतीय माल, वस्तुओं और सेवाओं को वैश्विक के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में अधिक प्रतियोगिता-मुलक बनाने में मदद करता है।

इसके अलावा, जीएसटी प्रणाली से प्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत सूची को हटाकर वर्तमान कराधान प्रणाली का उन्नयन करने में सहायता करता है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के केवल तीन भागों के साथ कराधान प्रणाली को सरल बनाता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, और आईजीएसटी। आइये, जीएसटी से जुड़े लाभ और हानि पर विस्तारित रूप से एक नज़र डालते हैं।

भारत में GST से लाभ :-

- जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों को संयुक्त करके एक साथ लाया है, सेवा और वस्तु व्यापार के लिए कराधान को सरल बनाया है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी लंबे समय में उत्पादों और सेवाओं की लागत कम करता है और व्यापक कर प्रभाव को समाप्त करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैट और करों की एक श्रृंखला का कैस्केडिंग प्रभाव अब मिटा दिया गया है।
- 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाली सेवा प्रदाता कंपनियों को जीएसटी का भुगतान करने से छूट है। उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में, सीमा 10 लाख रुपये है। इससे छोटे व्यवसायों को लंबी कराधान प्रक्रियाओं से बचाता है।

- **GST** कराधान प्रक्रिया के तहत रु 75 लाख तक के टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजीशन स्कीमों से लाभान्वित हो सकती हैं और अपने टर्नओवर पर केवल 1% कर का भुगतान कर सकती हैं। इससे उन्हें सरलीकृत कराधान प्रक्रिया का पालन करने में मदद मिलेगी।
- जीएसटी बिना रसीदों के बिक्री को कम करके भ्रष्टाचार को भी काम करता है।
- जीएसटी छोटी कंपनियों के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट का अनुपालन करने की आवश्यकता को कम करता है।
- जीएसटी कपड़ा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही और विनियमन लाता है।
- जीएसटी के साथ कई राज्य और केंद्रीय करों को प्रतिस्थापित करने के साथ, एकत्र किए गए कर को पूरे देश में वितरित किए जाने की संभावना है, जो भारत में विकासशील या कम इजाफे वाले पॉकेट्स को विकास के लिए धनराशि प्रदान करता है।
- जीएसटी ने कुछ सामानों पर करों को 2% और अन्य को 7.5% घटा दिया है, जैसे कि स्मार्टफोन और कार।
- जीएसटी कराधान प्रक्रिया में एकरूपता लाता है और केंद्रीकृत पंजीकरण की अनुमति देता है। छोटे व्यवसायों के पास कर विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं। ये उनको एक आसान आनलाइन तकनीक के माध्यम से हर तिमाही में अपना आई-कर रिटर्न फाइल करने का मौका देता है। इससे करों की बहुलता कम हो जाती है।
- जीएसटी सीमा करों को समाप्त करने और चेक-पोस्ट विसंगतियों को हल करके रसद लागत को कम करता है। गैर-थोक सामानों के लिए रसद लागत में 20% की गिरावट स्पष्ट रूप से एक अपेक्षित परिणाम है।
- जीएसटी का आना भारत के जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करता है। अगले कुछ वर्षों में इसके कम से कम 80% बढ़ने की उम्मीद है।
- जीएसटी के लागू होने से कर चोरी की संभावना पूरी तरह से कम हो जाती है।

यहां पहले के प्रत्यक्ष करों की सूची दी गई है जो अब लागू नहीं हैं जैसे : -

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी), उत्पाद शुल्क (ड्यूटीस आफ़ एक्साइज), आबकारी के अतिरिक्त कर्तव्य (एडिशनल ड्यूटीस आफ़ एक्साइज), सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्य (एडिशनल ड्यूटीस आफ़ कस्टम्स), सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (स्पेशल एडिशनल ड्यूटीस आफ़ कस्टम्स), उपकर (सेस), राज्य वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, खरीद कर (परचेस टैक्स), लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर , प्रवेश कर , विज्ञापनों पर कर, लाटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर।

भारत में GST से हानि :-

1. बड़ी हुयी साफ्टवेयर खरीदारी की लागत जो जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया में सहायता कर सकती है, वो कई व्यवसायों के लिए उच्च परिचालन लागत की ओर ले जाती है।
2. जीएसटी ने देश भर के कई व्यापार मालिकों के लिए जटिलता को जन्म दिया है। 85 लाख रुपये की कुल आय वाले एसएमई कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठ सकते हैं, टर्नओवर पर 1% कर का भुगतान करते हैं और कम काम्प्लाइंसेस का पालन करते हैं; हालांकि, समझौता के तहत इनपुट टैक्स के लिए वे क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते।
3. जीएसटी को **Tax** डिसएबिलिटी टैक्स' कहे जाने के लिए आलोचना हुई है क्योंकि ये अब ब्रेल पेपर, व्हीलचेयर, हियरिंग एड आदि जैसे वस्तुओं पर कर लगाता है।
4. उत्पादों के लिए कराधान में जटिलताओं से देखा गया है कि निर्माता अपने रिवाइड प्रोग्राम्स को निलंबित कर देते हैं, जिससे वो उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं।
5. वित्तीय क्षेत्र के भीतर जीएसटी लेनदेन शुल्क 15% से बढ़कर 18% हो गया है।
6. जीएसटी के साथ, बीमा प्रीमियम अधिक महंगा हो गया है।
7. पेट्रोल का दर जीएसटी के अंतर्भुक्त नहीं आता, जो वस्तुओं के एकीकरण के आदर्शों के खिलाफ है।

8. रियल एस्टेट बाजार पर जीएसटी के प्रभाव के कारण इसकी कीमत में 7% की बढ़ोतरी हुई, जो कि जून, 2017 में GST अनुयोजन के बाद रियल एस्टेट की मांग में 12% की गिरावट आई। हालांकि, ये एक अल्पकालीन प्रवृत्ति का प्रभाव हो सकती है।

भारत सरकार द्वारा GST की लागू की गयी विभिन्न दरें :-

GST देश में करो की संरचना में समानता लाने और अतीत में लगाए गए करों के व्यापक प्रभाव को ख़त्म करने वाला सबसे बड़ा कर-सुधार है।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग विभिन्न उत्पादों के लिए वस्तु एवं सेवा कर दरों को बदलने के लिए समय-समय पर आलोचना करती रहती है। शुरुवाती दौर में, GST को एक राष्ट्र, एक कर और एक दर (वन नेशन, वन टैक्स एंड वन रेट) के रूप में समझा जाता था लेकिन जब ये कानून भारत में लागू होने वाला था तब आर्थिक असमानता, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए लोगों के रवैये में बदलाव को देखते हुए भारत में GST को अलग-अलग कर दरों के साथ लागू किया गया है।

कम्पोजिशन टैक्सपेयर या छोटे करदाताओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें कुछ निम्न प्रकार हैं :-

- 1- व्यापारियों और निर्माताओं के लिए 1%
- 2- भोजन और पेय पदार्थ सेवा (फूड एंड बेवरेजेस- F&B) के आपूर्तिकर्ताओं के लिए 5% GST के अन्तर्गत वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरें कुछ निम्न प्रकार हैं :-
 - गेहूं, राई इत्यादि जैसे हलके अनाज के दाने, सभी तरह के नमक, पशुओं का आहार , बच्चों के लिए पिक्चर बुक्स, कलरिंग बुक्स या ड्राइंग बुक्स, सैनिटरी नैपकिन आदि वस्तुओं पर GST लागू नहीं होता है जिसे नो टैक्स (NO TAX) कहा गया है।
 - कोयला, घरेलू आवश्यकताओं की सामान जैसे काजू, बर्फ, आटा चक्की, श्रवण यंत्र या हियरिंग एड्स, जीवन रक्षक दवाएं आदि पर लागू होने वाली कर का दर 5% है।
 - बुक, नोटबुक, तैयार भोजन (रेडी टू इट फूड), ताश के पत्ते और कंप्यूटर आदि पर लागू होती है 12% कर।
 - एलुमिनियम फाइल, सीसीटीवी/ सिक्योरिटी कैमरे, सेट टाप बाक्स, स्विमिंग पूल, काजल स्टिक, प्रिंटर (मल्टीफंक्शंस के बिना), दूधपेस्ट, साबुन, हेयर आयल आदि औद्योगिक या व्यावसायिक सामान (Industrial Goods) पर लागू होती है 18%कर।
 - जी एस टी के तहत वस्तुओं के लिए उच्चतम कर (Highest Tax Rate) की दर निर्धारित की गई है जो 28% है और ये लकड़ी बाइक, कार, सिगरेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि उत्पादों पर लागू होती है।

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत सेवाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरें कुछ निम्नप्रकार हैं-

- किराये पर टैक्सी, रेलवे, माल परिवहन सेवाएं, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, आदि सेवाओं पर 5% दर लागू होती है।
- व्यवसायिक श्रेणी की हवाई यात्रा में, 1000 रुपये से 2500 रुपये तक के टैरिफ वाले आवास या गैर-वातानुकूलित रेस्तरां आदि लोकप्रिय सेवाओं पर 12% तक GST लागू की गयी है।
- आउटडोर कैटरिंग या खानपान और अन्य सभी स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन सेवाओं के लिए लागू होने वाली कर 18% तक है। इसके लिए विशेष रूप से एक दर निर्धारित नहीं की गई है अर्थात ये जी एस टी के तहत सेवाओं के करधान के लिए एक सामान्य दर है
- विलासमय होटल, रेस क्लब, मनोरंजन प्रविष्टियों, जुआ आदि विलासिताओं पर सबसे व्यापक कर लागू होती है जो 28 % है।

जीएसटी पंजीकरण या GST रजिस्ट्रेशन : -

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) से लाभान्वित होने के लिए, आपको GST रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना होगा। यहां बताया गया है कि आप जीएसटी के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं।

- आनलाइन पोर्टल पर लागू-इन करें
- मेनू में से **Services** आप्शन पर क्लिक करें
- **Registration** आप्शन में निउ रजिस्ट्रेशन को चुनें।
- नया पेज पर जीएसटी प्रैक्टिशनर या कर दाता के रूप में अपनी स्थिति चुनें
- भाग। पर फार्म पर अपना डिटेल्स भरें (पैन, ईमेल, मोबाइल नंबरआदि) और ओ टी पि के द्वारा अपनी डिटेल्स की पुष्टि करें
- आपको एक आबेदन का अस्थायी संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, जिसे आपको नई जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के भाग B को जारी रखने के लिए उपयोग करना होगा
- पार्ट बी पंजीकरण पर पिछला आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज करें और व्यावसायिक दस्तावेज अपलोड करें
- इसके बाद, **GST** कार्यकर्ता आपके दस्तावेजों का पुष्टि करना शुरू कर देंगे

तीन कार्य दिवसों के भीतर आपके आबेदन को मंजूरी मिलती है। अगर मंजूरी न मिले तो अधिकारी अधिक दस्तावेज क लिए मांग करते हैं और जिसके पुष्टिकरण पर आपको 7 कार्य दिवसों के भीतर आबेदन की मंजूरी मिल सकती है और अगले 7 कार्य दिवसों के अंदर आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिल जायेगा। मंजूरी न मिलने पर आपको **GST-REG-05** में सूचित किया जाता है।

व्यापार और उद्योग के लिए :-

- आसान अनुपालन, पारदर्शिता: एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को आनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।
- कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चितता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।
- करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति- मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारु प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी।
- प्रतिस्पर्धा में सुधार दृष्ट व्यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
- विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ - जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्ता तय करना होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए :-

- सरल और आसान प्रशासन - केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्द्र और राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।

- कदाचार पर बेहतर नियंत्रण दृ मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के स्वरूप में एक अंतःनिर्मित तंत्र है, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- अधिक राजस्व निपुणता दृ जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं के लिए :-

- वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्ध गैर-इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- समग्र कर भार में राहत दृ निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भारतीय स्टेट बैंक वार्षिक प्रतिवेदन 2020
2. बीबीसी हिन्दी. जून 2019
- 3- www.google.com/wikipedia.com
- 4- www.wikipedia.com
- 5- www.GST.co.in